कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28001/19–20 दिनांक : 30.12.2019

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक, शिक्षा,

विषयः– नाकारा/ अनुपयोगी सामान के निस्तारण के सम्बन्ध में उदासीनता बरतने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने के सम्बन्ध में ।

—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनुपयोगी सामान के निस्तारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.09.2019 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.06.2019, 01.08.2019, 09.08.2019, 11.09.2019, 10.10.2019, 05.11.2019, 22.11.2019 एवं 09.12.2019 द्वारा समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा परिसर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयो एवं समस्त प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालयो को अनुपयोगी सामान के निस्तारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.09.2019 के द्वारा अभियान अवधि के लिए वित्तीय नियमो में दी गई शिथिलता के अनुसार अनुपयोगी सामान नीलामी द्वारा निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे । इस कार्यालय द्वारा अनुपयोगी सामान निस्तारण के सम्बन्ध में मोनेटरिंग करने के लिए नियमित मासिक बैठक आयोजित की जाकर जिला कार्यालयो से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है, लेकिन निम्नांकित सूची के अनुसार क्रम संख्या 01 से 09 तक वर्णित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा (जिले के अधीनस्थ उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयो) अनुपयोगी सामान की नीलामी के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण राजस्व नगण्य प्राप्त हुआ है तथा क्रम संख्या 10 से 23 तक वर्णित जिला कार्यालयो के अनुपयोगी सामान की नीलामी की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है । इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक लेखाकर्मी को एक माह में कम से कम 15 विद्यालयो के अनुपयोगी सामान के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे।

अतः तालिका में वर्णित जिला कार्यालयो द्वारा अनुपयोगी सामान के निस्तारण के सम्बन्ध में संतोषजनक कार्यवाही नहीं करने बाबत उत्तरदायी शाला प्रधान/अधिकारियो/कार्मिको के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे । विभाग के विद्यालय में पड़े अनुपयोगी सामान/किताबो के निस्तारण की शत प्रतिशत कार्यवाही मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से की जावे । इस सम्बन्ध में दिनांक 09.01.2019 को होने वाली मीटिंग में प्रत्येक जिले के सत्र के प्रारम्भ में कितने विद्यालयो में अनुपयोगी सामान शेष था, अब तक कितने विद्यालयो में अनुपयोगी सामान का निस्तारण कर दिया गया है । शेष विद्यालयो की संख्या जिसमें अनुपयोगी सामान अभी भी निस्तारण के अभाव में बकाया पड़ा है । इसकी सूचना अनिवार्य रूप से मीटिंग में उपस्थित होने वाले अधिकारियो/कार्मिकों के साथ भिजवाई जावे ।

क्रम सं0	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम।	जिला कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालय द्वारा 30 नवम्बर 19 तक अनुपयोगी सामान के निस्तारण से हुई आय का विवरण ।
1	बांसवाड़ा	13505
2	बांरा	50568
3	डूंगरपुर	87571

.....2......

4	जैसलमेर	2544 •
5	राजसमंद	30480.
6	सिरोही	46772
7	टोंक	64383
8	प्रतापगढ़	4699 •
9	उदयपुर	71361
10	बाड़मेर	125926
11	भरतपुर	162514
12	भीलवाड़ा	175621
13	बूंदी	142541
14	चित्तोड़गढ़	118668
15	चूरू	155669
16	धौलपुर	164077
17	हनुमानगढ़	161605
18	जालौर	128171
19	झालावाड़	104241
20	झुंझुनू	179679
21	जोधपुर	172124
22	करौली	167233
23	कोटा	104670

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28001/17–18 दिनांक : 30.12.2019

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र को प्रति पृष्ठांकित कर निर्देश दिये जाते है कि अनुपयोगी सामान के निस्तारण में उदासीनता बरतने वाले प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अधिकारियो एवं कार्मिको से स्पष्टीकरण लिया जाकर दोषी अधिकारियो/कार्मिको के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे । अपने परिक्षेत्र के समस्त कार्यालयो/विद्यालयो में अनुपयोगी सामान की शत प्रतिशत नीलामी द्वारा निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर